सूचना का अधिकार के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. रायपुर में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री मनोज खरे, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

अपील प्रकरण क्रमांक 09/2021 दिनांक 12.11.2021

श्री आर.पी.नायक
रायपुर अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार
जनसूचना अधिकारी प्रतिअपीलार्थी

O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 5657
Date 11 JAN 2022
AGM (IT)
SE (O)/SE web
EE
Section

—:: आदेश ::—

(दिनांक 22/12/2021 को पारित)

अपीलार्थी श्री आर.पी.नायक ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—दो, पॉवर होल्डिंग कंपनी के निर्णय दिनांक 13.10.2021 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत किया है।

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी श्री आर. पी. नायक द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज :—	दिनांक 01.01.2004 से 31.07.2007 के बीच कौन—कौन अधिकारी, कब—कब, कितने दिनों के लिए निम्न पदों पर असीन रहें, संपूर्ण जानकारी एवं दस्तावेज :—(अ) मण्डल अध्यक्ष (ब) ऊर्जा सचिव (स) मण्डल सदस्य (द) मण्डल सचिव, समस्त अधिकारी का नाम एवं पद तथा उनके कार्यकाल अवधि की सत्यापित प्रति।
(ii)	अपील की सुनवाई तिथि :—	अपील की सुनवाई दिनांक 29.11.2021 को निर्धारित किया गया। उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए, किन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
(iii)	अपील की पुनः सुनवाई तिथि —	अपील की सुनवाई दिनांक 09.12.2021 को दोपहर 12:00 बजे निर्धारित किया गया। निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। उक्त तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, अपीलार्थी एवं जनसूचना अधिकारी के तर्क सुने गए। परिणामतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।
(IV)	अपीलार्थी का तर्क :—	जनसूचना अधिकारी द्वारा जो जानकारी दिया गया है वह अपूर्ण है। यह कि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी मण्डल स्तर का है अतः ऊर्जा विभाग से लेने वाली बात समझ से परे है। अतः उन्हे कौन—कौन अधिकारी कब—कब कितने दिनों के लिये निम्न पदों पर आसीन रहे है पूर्ण जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी जाए।
(V)	जनसूचना अधिकारी का पक्ष कथन :—	कार्यालयीन पत्र कमांक 1951 दिनांक 27.09.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराया गया है कि मण्डल अध्यक्ष, ऊर्जा सचिव एवं मण्डल सदस्य की जानकारी छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग, नवा रायपुर के कार्यालय से संबंधित है। अतः भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के संख्या 10/2/2008—आई.आर दिनांक 24.09.2010 के ज्ञापन में निर्दिष्ट तथ्यों के अनुसार उक्त जानकारी

		छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग के कार्यालय में नियमानुसार पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त किया जाना उचित होगा। लेख है कि पत्र कमांक 2012 दिनांक 06.10.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराया गया है कि मण्डल सचिव की जानकारी कुल 06 पृष्ठों में उपलब्ध है। अतः धारा 7(1) के अंतर्गत अभिलेख शुल्क रूपये 12/–मात्र का भुगतान कर, उक्त जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर सकते है। अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 12.10.2021 के माध्यम से अभिलेख शुल्क रूपये 12/–मात्र का भुगतान पोस्टल आर्डर के माध्यम से करते हुए अनुरोध किया गया कि पत्र कमांक 1951 दिनांक 27.09.2021 के तहत् आपके कार्यालय में जानकारी उपलब्ध नही होने की स्थिति के अनुसार संबंधित अधिकारी मण्डल के अधीन दिनांक 01.01.2004 से 31.07.2007 तक मण्डल के कार्यालय में संबंधित पद पर आसीन थे। अतः उनका जानकारी मण्डल से ही प्राप्त होना चाहिए। यदि आपके कार्यालय में उपलब्ध नही है तो ऊर्जा विभाग से जानकारी प्राप्त कर आवेदक को उपलब्ध कराने की कृपा करें। चूंकि मण्डल से संबंधित जानकारी है अतः मण्डल स्तर पर ही जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें।
(VI)	जन सूचना अधिकारी का पुनः तर्क :–	पत्र कमांक 2065 दिनांक 13.10.2021 के माध्यम से मण्डल सचिव की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जानकारी कार्यालय में जिस रूप में उपलब्ध है उसी रूप में अपीलार्थी को कुल 06 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गई है। तथापि अपीलार्थी को यह भी अवगत कराया गया है कि भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के संख्या 10/2/2008 आई.आर दिनांक 24.09.2010 के ज्ञापन में निहित तथ्यों के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूचना के लिए किसी लोक प्राधिकारी को आवेदन करता है जिसका एक हिस्सा लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है तथा सूचना का शेष हिस्सा एक से अधिक अन्य लोक प्राधिकरणों के पास बिखरा हुआ है, तो आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अपने लोक प्राधिकरण से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकारी को अलग से आवेदन करें। ऐसी सूचना जिसके हिस्से अलग–अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो, को एकत्र कर आवेदक को प्रदान करना अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है। अतः अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत आवेदन अंतरित किए जाने का मामला नहीं बनता है। भारत सरकार, नई दिल्ली के ज्ञापन में निहित तथ्यो के दृष्टिगत अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि के भीतर यह सलाह दिया गया है कि मण्डल अध्यक्ष, ऊर्जा सचिव, एवं मण्डल सदस्य की जानकारी ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के कार्यालय से संबंधित है। अतएव उक्त जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण अपीलार्थी को उपलब्ध नही करायी जा सकी।

(VII)	अपीलार्थी का पुनः तर्क :–	जनसूचना अधिकारी द्वारा उसे मण्डल सचिव की जानकारी 06 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गई है वह अधूरा है। क्योकि जनसूचना अधिकारी द्वारा केवल आदेश की प्रति उपलब्ध कराया गया है। जबकि मैने कौन–कौन अधिकारी कब–कब, कितने दिनों के लिए उक्त पद पर आसीन थे कि जानकारी/दस्तावेज चाही थी। तथापि उन्हे मण्डल अध्यक्ष, ऊर्जा सचिव एवं मण्डल सदस्य की जानकारी कार्यालयीन दस्तावेजों में खोजबीन कर उपलब्ध करायी जाए।
(VIII)	जन सूचना अधिकारी का पुनः तर्क :–	अपीलार्थी को मण्डल सचिव की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कुल 06 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गई है। अतएव यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केवल ऐसी जानकारी/सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकारी के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। सूचनाधिकार के अंतर्गत जानकारी/दस्तावेज जिस रूप में उपलब्ध है उसी रूप में प्रदाय किया जाना है। जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित कर प्रदान किया जाना अपेक्षित नही है। यह कि तत्कालीन मण्डल अध्यक्ष, ऊर्जा सचिव एवं मण्डल सदस्य की जानकारी लगभग 17 वर्ष पुरानी जानकारी/दस्तावेज है। जिसे अपीलार्थी के अपील निवेदन पर पुनः कार्यालयीन दस्तावेजों/अभिलेखों में खोजबीन कर एकत्र करने का भरसक प्रयास किया गया। किन्तु उक्त दस्तावेज प्राप्त नही हो सका।

(2) प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्को से प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा तालिका कमांक (V), (VI) एवं (VIII) में जो कार्यवाही एवं तर्क दिया गया है वह विधिसंगत है।

जैसा कि इन सभी विवरणों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी यथा मण्डल अध्यक्ष, मण्डल सदस्य एवं ऊर्जा सचिव की नियुक्ति छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग जारी आदेश के द्वारा की जाती है। उन आदेशों के बाद ये अधिकारी पदभार अथवा पद त्याग करते है जिनकी तिथियॉ आगे–पीछे अलग होती है। इनका विधिवत रिकार्ड होल्डिंग कंपनी में संधारित नही किया जाता है। अतएव अपीलार्थी का यह कथन कि यदि उक्त जानकारी आपके कार्यालय में उपलब्ध नही है तो छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग से जानकारी प्राप्त कर उन्हे उपलब्ध कराने की कृपा करें, जो स्वीकार योग्य नही है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के ज्ञापन संख्या 10/2/2008 आई.आर दिनांक 24.09.2010 के दृष्टिगत यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूचना के लिए लोक प्राधिकरण को आवेदन करता है जिसका एक हिस्सा लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है तथा सूचना का शेष हिस्सा एक से अधिक अन्य लोक प्राधिकरणों के पास बिखरा हुआ है, तो आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) को अपने लोक प्राधिकरण से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग से आवेदन करें। अतः अपीलार्थी को मण्डल अध्यक्ष, मण्डल सदस्य एवं ऊर्जा सचिव की जानकारी छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग से संकलित कर उपलब्ध कराया जाना विधिसंगत नही है। यद्यपि जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को मण्डल सचिव की जानकारी सृजित न कर, जानकारी कार्यालय में जिस रूप में उपलब्ध है उसी रूप में कुल 06 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गई है। अतएव यह प्रतिपादित होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में निर्धारित समयावधि के भीतर यथोचित नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

जैसा कि अपील सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा किये गये निवेदन के परिप्रेक्ष्य में जनसूचना अधिकारी द्वारा मण्डल अध्यक्ष, ऊर्जा सचिव, एवं मण्डल सदस्य की जानकारी/दस्तावेज पुनः कार्यालयीन दस्तावेजों में खोजबीन कर एकत्र करने का भरसक प्रयास किया गया। किन्तु उक्त दस्तावेज प्राप्त नही हो सके। अतः भारत सरकार, नई दिल्ली के उपरोक्त ज्ञापन में निहित तथ्यों के दृष्टिगत अपीलार्थी को पुनः सलाह दी जाती है कि मण्डल अध्यक्ष, ऊर्जा सचिव, एवं मण्डल सदस्य की जानकारी छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग, नवा रायपुर के कार्यालय में नियमानुसार पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जानकारी/दस्तावेज प्राप्त करें।

यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केवल ऐसी जानकारी/सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकारी के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित किया जाना अपेक्षित नही है।

(3) जहॉ तक अपील का प्रश्न है, उल्लेखित तालिका कमांक (V), (VI) एवं (VIII) के दृष्टिगत जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जो सूचना/जानकारी उपलब्ध करायी गई है वह तथ्यानुरूप है, जो स्वीकार है। अतः प्रकरण में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

तदनुसार दर्ज अपील प्रकरण (पंजीयन कमांक 09/2021 दिनांक 12.11.2021) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

(मनोज खरे)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –09/2021/32 रायपुर, दिनांक 22/12/2021

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2). श्री आर.पी.नायक, सेवानिवृत्त, सिविल सुपरवाईजर श्रेणी–तीन, मकान नबंर– 54/883 शांति विहार कालोनी, डंगनिया, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, नवा रायपुर

(मनोज खरे)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700